महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya
UJJAIN – 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 13-11-2020

कार्यालय आदेश-TOP PRIORITY

विषय :-पूर्व में जो छात्र वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली में थे उन छात्रों को अनुदानित इकाई एवं वेद विद्यालय में जोडने के निर्देश ।

समस्त डाटा प्रविष्टि सहायकों एवं सहयोगी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि 2019-20 तक जो छात्र वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली में परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उन छात्रों को अनुदानित इकाई एवं अनुदानित वेद विद्यालय में जोडना है। वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली के छात्रों का पता, दूरवाणी संख्या आदि परीक्षा विभाग में / कम्प्यूटर सें उपलब्ध है। यदि पता आदि नहीं है तो पता लगाना भी होगा।

कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा कम्प्यूटर से आज तुरन्त एक सूची तैयार हो जिस में 2-3 अनुपात में छात्र-वाले अनुदानित इकाई एवं 7-8 या उस से कम छात्र-अनुपात-वाले अनुदानित वेद विद्यालय की सूची बनें एवं दो-तीन दिनों में सख्त अनुपालन हेतु (वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली में परीक्षा में उपस्थित छात्र को अनुदानित इकाई एवं अनुदानित वेद विद्यालय में प्रवेशित करने) निर्देश करें। किसी भी परिस्थिति में वित्त विहीन व्यवस्था एक समानान्तर व्यवस्था (Parellel System) बनकर अनियन्त्रित न हो जाय क्यों कि इस में सस्वर वेद अध्ययन एवं सस्वर अध्यापन का निरीक्षण आदि द्वारा पूर्ण गुणवत्ता का मानिटरिंग कठिन है।

अतः वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली में परीक्षा में उपस्थित 1100 छात्रों के अभिभावक के साथ संपर्क कर अनुदानित इकाई अध्यापक- वेद गुरु एवं अनुदानित वेद विद्यालय के प्रबन्धक/ गुरु शीघ्र कार्य कर सभी छात्रों को अनुदानित इकाई एवं अनुदानित वेद विद्यालय में अनुदानित अध्यापकों के अनुपात में जोडें । इस हेतु कोई नया अध्यापक देने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

यह देखा गया कि केरल, कर्नाटक, आन्ध्र, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आदि में अनुभवी तथा युवा अनुदानित प्रत्येक इकाई है, तथापि 2-3 / 3-4 ही छात्र हैं, जब कि 10 छात्र हो सकते हैं एवं अनुदानित वेद विद्यालय में अनुदानित अध्यापकों के अनुपात में बहुत ही कम छात्र है। यह सुनिश्चित किया जाय कि एक-एक अध्यापक के अधीन में पूरा 10 अनुपात में छात्र संख्या हो । इस हेतु कोई नया अध्यापक देने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। अतः अगले 10 दिनों में यह कार्य पूर्ण होना आवश्यक है।

छात्र संख्या को बढाने एवं निरीक्षण आदि द्वारा गुणवत्ता का मानिटरिंग हेतु शासी परिषद् में विचार भी आया है। अतः अगले 10 दिनों में डा. अनूप मिश्र एवं श्री संजय श्रीवास्तव के निर्देशन में सुश्री मीनाक्षी श्रीवास्तव एवं श्री आनन्द शर्मा की देखरेख में, श्री विपिन उपाध्याय, डा अभय पाण्डेय एवं श्री अर्पित पुरोहित मिलकर यह कार्य पूर्ण कर अनुपालन रिपोर्ट (वित्त विहीन /बाह्य प्रणाली के कितने छात्रों को अनुदानित इकाई एवं अनुदानित वेद विद्यालय में जोडा है? संख्या निर्देश एवं सभी के हस्ताक्षर सहित) मुझे 24-11-2020 तक प्रस्तुत करें।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

नोट- संबद्ध सभी को प्रचालन द्वारा पढवाकर हस्ताक्षर लेना श्री कुञ्जबिहारी पाण्डेय करें ।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव जी के निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
2. परामर्शदाता (प्र) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
3. परामर्शदाता (वित्त) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
4. अनुभाग अधिकारी (प्र.), म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
5. कार्यालय आदेश मिसिल।
6. सम्बन्धित नस्ती।
7. Website पर.